186 26 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए दिनांक 1.1.2007 से वेतनमानों का संशोधन –उन पर मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 1.1.2007 से सीपीएसई में बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 26.11. 2008 और 09.02.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 26.11. 2008 का कार्यालय ज्ञापन जारी करने के पश्चात सरकार ने तेल और विद्युत क्षेत्रों के सीपीएसई में कार्यरत कार्यपालकों द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की एक समिति गठित की है।

2. सरकार ने मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर अपेक्षित विचार करने के पश्चात निम्नानुसार यह भी निश्चय किया है :

(i) फिटमेंट के प्रयोजन से 50% महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिलाकर लाभ प्रदान करना : संशोधित वेतनमानों में फिटमेंट और वेतन निर्धारण के प्रयोजन से 01.01.2007 से 50% महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिलाकर लाभ प्रदान किया जाएगा, जो प्रभावी रूप से 78. 2% के बराबर होगा (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 2 (i) देखें)।

(ii) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभ :

सीपीएसई को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 30% की गणना केवल मूल वेतन के बजाय मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% के आधार पर की जाएगी। कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ ''परिभाषित अंशदायी योजना'' के अंतर्गत दिया जाएगा, न कि ''परिभाषित लाभ योजना'' के तहत। ऐसे सीपीएसई, जहां कोई अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति योजना लागू नहीं हैं, वे ऐसी योजना तैयार कर सकते हैं और अपने प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस 30% की सीमा के बाहर कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सकता (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 12, अनुबंध IV(V) देखें)।

(iii) मकान किराया भत्ता : दिनांक 26.11.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई मकान किराया भत्ता की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि किसी विशेष अधिकारी के मामले में यथाविहित दर के अनुसार मकान किराया भत्ता की वास्तविक राशि यदि अधिकारी

द्वारा पहले आहरित राशि की तुलना में कम है तो ऐसे मामले में अधिकारी को इस शर्त के अध्यधीन 'वैयक्तिक भत्ते' के रूप में अंतर की राशि तब तक आहरित करने की अनुमति होगी,जब तक कि वह अंतर समाप्त नहीं हो जाता है और इस अंतर को अनुलब्धियों ओर भत्तों के लिए यथा विहित संपूर्ण सीमा के भीतर शामिल माना जाएगा। (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 7 देखें)।

(iv) अन्य अनुलब्धियां और भत्ते : दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि ''ऐसे स्थानों, जहां सीपीएसई ने अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय, क्लब आदि जैसी अवसंरचना सृजित की है, में अनुलब्धियों और भत्तों की गणना के प्रयोजन से प्रतिस्थापन लागत पर इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए''।

अब यह निश्चय किया गया है कि अवसंरचना और सुविधाओं के मूल्य निर्धारण के लिए केवल अवसंरचना और सुविधाओं के रखरखाव और उनके संचालन पर होने वाले आवर्ती व्यय को ही शामिल किया जाएगा। आवर्ती व्यय को कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के कुल मूल वेतन और कामगारों के मूल वेतन के अनुपात के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षों के लिए गणनीय भाग की गणना इस शर्त के अध्यधीन अनुलब्धियों और भत्तों पर व्यय के रूप में की जाएगी कि उपर्युक्त राशि सभी कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संबंध में मूल वेतन के 50% की सीमा के भीतर 10% की सीमा तक प्रतिबंधित की जाए (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 10 देखें)।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा लागू मूल वेतन के 12.5% की सीमा के भीतर पूर्वोत्तर भत्ते का लाभ लद्दाख क्षेत्र के लिए भी प्रदान किया जाए (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 10 (i) देखें)।

(v) संशोधित भत्तों के लिए प्रभावी तारीख : यह निश्चय किया गया है कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी कर दिए जाते हैं, तो संशोधित भत्तों को लागू करने की तारीख 26.11.2008 मानी जाए, क्योंकि यह डीपीई द्वारा पहला कार्यालय ज्ञापन जारी करने की तारीख है। तथापि जहां इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से 1 माह के भीतर राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो संशोधित भत्तों को राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी किए जाने की तारीख से ही लागू किया जाएगा। भत्तों को लागू करने की तारीख किसी भी सूरत में 26.11.2008 से पहले नहीं हो सकती है (डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 17 देखें)।

(vi) मौजूदा वेतनमानों के समानुरूप बनाने के लिए मध्यवर्ती वेतनमानों को लागू करना : यह निश्चय किया गया है कि दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाए अनुसार बोर्ड स्तर से नीचे वाले पदों के लिए 10 वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और मध्यवर्ती वेतनमान जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इन्हें लागू करने में कोई विसंगति होती है तो उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। प्रत्येक अधिकारी को संगत नए वेतनमान में फिटमेंट का लाभ दिया जाए।

तथापि, यदि मध्यवर्ती वेतनमानों के संबंध में कोई आपवादिक मामला सामने आता है, तो उसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा डीपीई को संदर्भित किया जाए। इस मुद्दे का निराकरण डीपीई द्वारा संशोधित वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन किए बिना मामला दर मामला आधार पर व्यय विभाग की सहमति से किया जाएगा।

(vii) अन्य मांगें :

सरकार ने मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निश्चय किया है कि सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में डीपीई द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.11.2008 और 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन में कोई अन्य परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

3. सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि दिनांक 26.11. 2008 और 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सूचित किए गए पहले निर्णय के साथ पठित इस कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत लाभों को कुल पैकेज के रूप में देखा जाए। यह भी निश्चय किया गया है कि पूर्ववर्ती कार्यालय ज्ञापनों द्वारा सूचित किए अनुसार वेतन संशोधन पैकेज के साथ–साथ उपर्युक्त संशोधन सभी सीपीएसई के लिए लागू होंगे।

4. दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापनों और इस कार्यालय ज्ञापन में विभिन्न मदों के अंतर्गत उल्लिखित सीमाएं अधिकतम स्वीकार्य सीमाएं हैं। तथापि इन अधिकतम स्वीकार्य सीमाओं के विरूद्ध निम्नतर सीमाओं का प्रावधान संबंधित सीपीएसई की वहनीयता, भुगतान की क्षमता और स्थायित्व के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से जारी किए जाने वाले निदेशों में किया जा सकता है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2 (70)/2008–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**VII/09**, दिनांक 02 अप्रैल 2009)

*****